सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या /XXII(2)/2019–63(10)2010

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सूचना अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 23 सितम्बर, 2019

विषय : 02 अक्टूबर, 2019 को गांधी जयन्ती समारोह मनाये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी 02 अक्टूबर, 2019 को गांधी जयन्ती समारोह सम्मानपूर्वक आयोजित किया जायेगा। इस अवसर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की एक रूपरेखा नीचे दी जा रही है। आप स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये इसमें यथोचित परिवर्तन/परिवर्द्धन करने के लिये सक्षम है और ऐसे अन्य कार्यक्रम भी सम्मिलित कर सकते हैं, जो इस अवसर पर उपयुक्त हों।

2– इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में निम्न अनिवार्यतः शामिल किये जांए :–

(क) सभी कार्यालयों, विद्यालयों और दूसरी संस्थानों के किसी बड़े कक्ष या हाल में किसी वरिष्ठ अधिकारी, प्रधानाचार्य या अध्यक्ष द्वारा प्रातः 8:00 बजे महात्मा गांधी के एक बडे चित्र का अनावरण व माल्यार्पण किया जाये और उसके बाद गांधी जी के जीवन–संघर्ष, उनकी देश–सेवा, उनके जीवन–मूल्यों पर प्रकाश डाला जाये। विशेष रूप से निर्बलों के कल्याण सम्बन्धी "अन्त्योदय" की उनकी अवधारणा, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के संबंध में उनके विचारों का संक्षेप में परिचय दिया जाये।

स्कूलों और कॉलेजों में गांधीवादी जीवन–दृष्टि का प्रचार तथा गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियों के मध्य वाद–विवाद प्रतियोगिता या गोष्ठी आयोजित की जाये, जिसमें जातिगत भेदभाव से दूर रहकर समाज में समता और समरसता लाने पर बल दिया जाये। मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा उत्पीड़न को समाप्त करने के प्रति शासन की प्रतिबद्धता से जन–साधारण को अवगत कराया जाये।

3– उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का समावेश भी प्रस्तावित कार्यक्रमों में किया जाए :–

(क) विभिन्न संस्थानों एवं कार्यकर्ताओं की सहायता से प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा देने तथा समाजिक विषमता के अभिशाप के उन्मूलन के लिये आम जनता का आह्वान किया जायें तथा इन कार्यक्रमों को नयी गति प्रदान की जाय।

(ख) महिलाओं की उन्नति के लिये गांधी जी द्वारा बताये हुये मार्ग का अनुसरण करने, बालिका–शिक्षा के प्रसार, देहज–प्रथा की समाप्ति तथा महिलाओं को आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देने के लिये सामाजिक चेतना पैदा की जाय तथा इस निमित्त प्रभावी अभियान चलाया जाय।

(ग) गॉधी जी के नेतृत्व में चलाये गये स्वाधीनता आन्दोलन, उत्तराखण्ड में उसका व्यापक प्रभाव, गांधी जी द्वारा दिये गये रचनात्मक कार्यक्रमों, स्वदेशी आन्दोलन, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि पर प्रकाश डाला जाये।

(घ) "सादा जीवन उच्च विचार", मितव्ययता, नैतिकता, भाईचारा तथा सर्वधर्म समभाव जैसे आदर्श जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी जाये, उन्हें यह भी समझाया जायें कि देश को कमजोर करने वाली शक्तियों से सावधान रहते हुए, राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करना उनका पुनीत कर्तव्य है, जिसका संकल्प आज के दिन दोहराया जाना चाहिये।

(190) Gen.Corr.2018

CAO-I

(च) "पंथ निरपेक्षता" की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए, लोगों को प्रेरणा दी जाये कि देश और समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भाव से होता है, घृणा से नहीं, मेलजोल से होता है, बैर–भाव से नहीं, एक–दूसरे के धर्म का आदर करने से होता है, अनादर से नहीं।

(छ) सार्वजनिक संस्थानों तथा गांधी जी के विचारों में आस्था रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ ही समरसता, सद्भाव और सहयोग पर आधारित आदर्श समाज की संरचना की आवश्यकता को रेखांकित किया जाय। धर्म, जाति आदि रंग आदि सभी भेदभावों को मिटाकर सम्प्रदायों को लोगों में पारस्परिक सद्भावना, ऐक्य तथा सहयोग–भाव बढ़ाने वाली चेतना विकसित करने के लिये जन–सहभागिता के आधार पर उचित वातावरण तैयार करने का हर संभव प्रयास किया जाय।

(ज) राष्ट्रपिता द्वारा लघु, कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योगों के विकास व उन्नयन के संबंध में विशेष प्रयत्न किये गये। उत्तराखण्ड में ऐसे उद्योगों के महत्व को देखते हुये आमजन को ऐसे उद्योगों की ओर उन्मुख किये जाने हेतु प्रेरित किया जाय। उद्योग विभाग इस संबंध में अलग से कार्यक्रम तैयार कर सकता है।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या– 304/XXII(2)/2019–63(10)2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
7– मेयर, नगर निगम, देहरादून/समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
8– महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
10– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
12– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

प0सं0-639/227048-H10/19 दिनांक 30/09/2019

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता,महोदय के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वि0/यॉ0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर प्रथम/द्वितीय/तृतीय विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी I/II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. लेखा/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
10. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
11. प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
12. वैयक्तिक सहायक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
13. आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0,देहरादून।

–2–

Bisht 30/9/19
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून